न्यायालय राजस्व परिषद उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या – 149 वर्ष 2014–15

अन्तर्गत धारा–333 ज0वि0 अधिनियम
(धारा 331 का त्रुटिपूर्ण उल्लेख)

डी0टी0सी0 इण्डिया लि0(देहरादून टी कम्पनी) द्वारा प्रबंधक एन0के0मिश्रा ग्राम हरबंसवाला चायबागान, आरकेडिया ग्रान्ट, परगना केन्द्रीय दून, जिला देहरादून।

..निगरानीकर्ता

बनाम

1. गोपी राम पुत्र स्व0 सालीग्राम, निवासी लेबर क्वार्टर, हरबंसवाला, परगना केन्द्रीय दून, जिला देहरादून। 2. ग्राम सभा हरबंसवाला। 3. कलेक्टर, देहरादून।

..उत्तरदातागण

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य, न्यायिक।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री आर0एस0नेगी।

अधिवक्ता उत्तरदाता संख्या 1 : श्री अरूण सक्सेना।

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्ता द्वारा अन्तर्गत धारा–333 ज0वि0 अधिनियम (धारा 331 का त्रुटिपूर्ण उल्लेख) सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी /परगनाधिकारी सदर देहरादून द्वारा वाद संख्या 3/2006–07 गोपी राम बनाम टी कम्पनी अन्तर्गत धारा 229(बी) ज0वि0अधि0 में पारित आदेश दिनांक 11.06.2015 के विरूद्ध प्रमुखतया इन आधारों पर प्रस्तुत की गयी है कि वादग्रस्त भूमि वर्ग 6(2) के अन्तर्गत बन्दोबस्ती आबादी के रूप में दिनांक 01.07.1952 से पूर्व से अंकित है तद्नुसार अवर न्यायालय को आलोच्य वाद सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है, कि आक्षेपित आदेश बिना निगरानीकर्ता की आपत्तियों एवं उसके द्वारा उल्लेखित विधिक् व्यवस्थाओं पर विचार किये पारित किया गया है, कि वादग्रस्त भूमि उत्तरदाता संख्या –1 को धारा–15 Plantation Labour Act के अन्तर्गत आवंटित की गयी थी एवं यह भूमि आबादी के रूप में वर्ष 1945 से पूर्व से अंकित चली आ रही है एवं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा–9 के अन्तर्गत इस रूप में निहित हो चुकी है जिसका स्वामी निगरानीकर्ता है, एवं कि निगरानीकर्ता द्वारा धारा–209 जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत एक वाद इसी भूमि के संबंध में अवर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसे घोषणात्मक वाद अन्तर्गत धारा 229–बी जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम के साथ एकीकृत किया गया है।

इस निगरानी की संक्षिप्त पृष्ठ भूमि इस प्रकार है :–

उत्तरदाता संख्या–1 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 229(बी) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम निगरानीकर्ता कम्पनी के विरूद्ध भूमि खसरा संख्या 193ख क्षेत्रफल 0.0770 हे0 एवं खसरा संख्या 193 क क्षेत्रफल 0.0970 है0 कुल क्षेत्रफल 0.1740 हे0 स्थित ग्राम हरबंसवाला परगना तहसील व जिला देहरादून का स्वयं को भूमिधर घोषित किये जाने हेतु दिनांक 17.02.0211 को योजित किया गया। इस वाद के

निस्तारणार्थ 10 विवाद्यक स्थिर किये गये जिसमें से विवाद्यक सं0 3 कि "क्या विवादित भूमि पर आवासीय भवन निर्मित हैं तथा भूमि का उपयोग कृषि से भिन्न हो रहा है" का निस्तारण प्रारंभिक विवाद्यक के रूप में दिनांक 11.06.2015 को इस आशय से किया गया है कि खसरा संख्या 193(ख) क्षेत्रफल 0.0770 है0 भूमि आज भी कृषि प्रयोजन में लायी जा रही है, अतः इस आधार पर उसे कृषि भूमि घोषित किया जाता है। इसी आदेश के विरूद्व वर्तमान निगरानी निर्देशित है।

मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावलियों का भंलीभांति अवलोकन किया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विवादग्रस्त भूमि/सम्पत्ति उत्तरदाता संख्या–1 को अन्य श्रमिकों की भांति सेवारत रहने की अवधि में आवासीय सम्पत्ति प्रयोजन हेतु आवंटित की गयी है एवं सेवा समाप्ति के उपरान्त उसे यह भूमि/सम्पत्ति निगरानीकर्ता को समर्पित करनी थी, कि निगरानीकर्ता द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि/सम्पत्ति समर्पित नहीं किये जाने की स्थिति में धारा 209(जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम) के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि उत्तरदाता संख्या–1 द्वारा इस संबंध में धारा 229(बी) जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम का वाद प्रस्तुत किया गया है, कि वादग्रस्त भूमि 1345 फसली में आबादी थी एवं अद्यतन निरंतर रूप से आबादी के रूप में चली आ रही है, कि वादग्रस्त भूमि आबादी के रूप में प्रास्थिति/स्वरूप अपरिवर्तित है एवं धारा–9 जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत यह निगरानीकर्ता कम्पनी में निहित हो गयी है जिसके संबंध में घोषणा धारा 144 जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत विधितः नहीं की जा सकती है एवं इस सम्पत्ति/भूमि के संबंध में श्रवणाधिकार मात्र सिविल न्यायालय को है तदनुसार विद्वान सहायक कलेक्टर का आक्षेपित आदेश क्षेत्राधिकार से परे, अनियमित एवं अविधिक् है। दूसरी ओर उत्तर दाता संख्या–1 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आबादी के विवाद्यक के संबंध में तहसील की रिपोर्ट के आधार पर वादग्रस्त भूमि को कृषिगत भूमि घोषित किया गया है जबकि इस संबंध में निगरानीकर्ता/प्रतिवादी का मूल वाद में कोई अभिवचन नहीं है।

निगरानीपत्र के अभिकथन एवं निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क कि वाद ग्रस्त भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालय तदनुसार विद्वान सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, देहरादून को आलोच्य वाद में श्रवणाधिकार नहीं होने का जहां तक प्रश्न है, यह तर्क समझ से परे है क्योंकि जहां एक ओर निगरानीकर्ता ने वादग्रस्त भूमि के आबादी होने के दृष्टिगत राजस्व न्यायालय को श्रवणाधिकार नहीं होने का बिन्दु प्रस्तुत किया है वहीं इसी भूमि को लेकर के निगरानीकर्ता द्वारा समानान्तर रूप से धारा–209 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत बेदखली का वाद भी योजित किया गया है। निगरानीकर्ता एवं उसके विद्वान अधिवक्ता एक ही सांस में दो विपरीतगामी बिन्दुओं को नहीं उठा सकते हैं। उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि यदि वादग्रस्त भूमि के संबंध प्रस्तुत घोषणात्मक वाद का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है तो इसी भूमि के संबंध में बेदखली वाद राजस्व न्यायालय में कैसे ग्राहय होगा? इसके अतिरिक्त आलोच्य में निगरानी में अन्तर्विष्ट भूमि के अतिरिक्त भी भूमि सम्मिलित है। तथापि वे परीक्षण न्यायालय में इस संबंध में विधिवत् अपना स्पष्ट अभिवचन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होंगे एवं इस अभिवचन पर स्थिर विवाद्यक को प्रारंभिक विवाद्यक के रूप में विचारित एवं विनिश्चित करवाने हेतु प्रार्थना कर सकेंगे।

धारा–144 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत परगने का प्रभारी सहायक कलेक्टर उसी भूमि को उचित प्रकरण में कृषिगत घोषित कर सकता है जिसे अधिनियम की धारा 143 के अतर्गत अकृषक घोषित किया गया हो एवं परगने का प्रभारी सहायक कलेक्टर मात्र भूमिधर द्वारा धारित भूमि के संबंध में ही ऐसी घोषणा, यथास्थिति धारा 143 अथवा धारा 144 के अन्तर्गत कर सकता है अर्थात् इन दोनों धाराओं में अकृषक अथवा कृषक भूमि घोषित किये जाने की पूर्व शर्त यह है कि ऐसी भूमि भूमिधर द्वारा धारित होनी चाहिए।

आलोच्य वाद में वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 299 में सम्मिलित आबादी की भूमि है एवं खतौनी वर्ष 1409 से 1414 फसली में इस रूप में अंकित है अर्थात् यह भूमि भूमिधरी की भूमि नहीं है। खतौनी वर्ष 1415–1420 फसली में भी वादग्रस्त भूमि आबादी के रूप में अंकित है। खसरा वर्ष 1400 फसली में वाद ग्रस्त भूमि का पूर्व नंबर 114 प्रदर्शित है। पुनरीक्षित खसरा, कागज संख्या 4/8, में भी वाद ग्रस्त भूमि की पूर्व खसरा संख्या 114 प्रदर्शित है। खसरा प क–3 वर्ष 1359 फसली में वाद ग्रस्त भूमि पूर्व नम्बर 114 को आबादी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। 1345 फसली के खसरे में भी वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 114 आबादी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तद्नुसार यह प्रचुरता से सिद्व है कि वाद ग्रस्त भूमि भूमिधरी अथवा भूमिधर द्वारा धारित भूमि नहीं है। अभिलेखों की उक्त स्थिति के दृष्टिगत जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के धारा 143 एवं 144 के अन्तर्गत ऐसी भूमि को अकृषक घोषित करने अथवा कृषिगत घोषित करने का विधिक् क्षेत्राधिकार परगने के प्रभारी सहायक कलेक्टर को नहीं है। परगने के प्रभारी सहायक कलेक्टर को मात्र भूमिधरी अथवा भूमिधर द्वारा धारित भूमि के संबंध में ही धारा 143 एवं 144 के अन्तर्गत घोषणा उचित प्रकरण में करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त धारा 144 के अन्तर्गत घोषणा उसी भूमि के संबंध में की जा सकती है जिसके संबंध में घोषणा धारा 143 के अन्तर्गत पूर्व में की गयी हो। विद्वान सहायक कलेक्टर/परगनाधिकारी, देहरादून ने तद्नुसार विधिक् स्थिति का संज्ञान लिये बिना आक्षेपित आदेश पारित किया है। ऐसे उन्हें आक्षेपित आदेश पारित करने का विधिक् क्षेत्राधिकार नहीं था। विद्वान सहायक कलेक्टर बन्दोबस्ती आबादी को किसी भी रूप में कृषिगत नहीं घोषित कर सकते थे क्योंकि बन्दोबस्ती आबादी को कृषिगत घोषित करना बन्दोबस्ती कार्यवाही है जो बन्दोबस्त में ही संभव है। इसके अतिरिक्त कृषिगत भूमि के संबंध में खतौनी में खातेदार का नाम अंकित किया जाना होता है जबकि बन्दोबस्ती आबादी में खातेदार का नाम अंकित नहीं होता है जैसा कि आलोच्य प्रकरण में भी है। तद्नुसार निगरानी स्वीकारणीय है तथा आक्षेपित आदेश अपास्त होने योग्य है।

आदेश

निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस कर इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक **06.11.2017** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।